This is a digitally signed gazette, to verify click here.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

**शिमला, वीरवार 8 दिसम्बर, 2011/17 अग्रहायण, 1933**

### हिमाचल प्रदेश सरकार

**नगर एवं ग्राम योजना विभाग**

अधिसूचना

शिमला–2, 7 दिसम्बर, 2011

**संख्या टीसीपी–एफ (5)–6/2011.**—हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन, अधिसूचना संख्या हिम/टी.पी.आर. डब्लयू–रोहतांग (एस.ए.) 2000 तारीख 18.11.2000 द्वारा, **"रोहतांग विशेष क्षेत्र"** का गठन कर लिया गया है ।

और उक्त विशेष क्षेत्र के विद्यमान भू–उपयोग नक्शे को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन, अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है ।

और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त विशेष क्षेत्र में भूमि उपयोग में परिवर्तन करने या उसमें किसी भवन के निर्माण करने से सतह या किसी भूमि या मिट्टी को क्षति पहुँचने की सम्भावना है या यह मिट्टी के परीक्षण, भूमि के खिसकने की रोकथाम या कटाव के संरक्षण के लिए

हानिकारक है और उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और उसका विकास करना कठिन हो गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा–15–क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **"रोहतांग विशेष क्षेत्र"** के विद्यमान भूमि उपयोग को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए बन्द करती हैं।

हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (टी0सी0पी0)।

————————

*[Authoritative English text of Government Notification No. TCP-F (5)-6/2011 dated **07.12.2011** as required under clause (3) of article 348 of the costitution of Iindia].*

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 7 December, 2011*

**NO. TCP-F(5)-6/2011.—**Whereas the **Rohtang Special Area** has been constituted under sub-section (1) of Section-66 of the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Act,1977 (Act No.12 of 1977) vide Notification No. HIM/TP-RWRohtang (SA) 2000 Dated 18.11.2000.

And whereas existing land use map of the said Special Area has not yet been published under Section-15 of the Act ibid;

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Special Area, the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance to the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips, or protection against erosion, or is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provision of the aforesaid Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section -15-A of the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the Existing land use of the **"Rohtang Special Area"** for a period of **three year** from the date of publication of this notification in the official Gazettee.

Sd/-
*Principal Secretary (TCP).*

————————

**स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग**

अधिसूचना

शिमला–2, 23.11. 2011

**संख्या एच.एफ.डब्ल्यू–बी(ए)2–2 / 2001–II.—**प्रारूप नियम नामतः हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (फीस) नियम, 2011 हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003, की धारा 31 के अधीन यथा अपेक्षित

के अनुसार इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, इसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समसंख्यक अधिसूचना तारीख 16.8.2007 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (आसाधारण) में 11.9.2007 को प्रकाशित किया गया था; और इस निमित उक्त प्रारूप नियमों की बाबत नियत अवधि के दौरान जन साधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नही हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थातः–

**'नियम'**

1. **संक्षिप्त नाम.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (फीस) नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **परिभाषाएं.––**(1) इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरूद्व न हो, –
(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) अभिप्रेत है;
(ख) "उपाबंध" से इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध अभिप्रेत है;
(ग) 'परिषद्' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है;
(घ) 'विहित फीस' से परिषद् द्वारा प्रभार्य आरै इन नियमों में विहित फीस अभिप्रेत है ;
(ङ) 'रजिस्टर' से इन नियमों के नियम 3 के उप नियम (3) के अधीन बनाए रखा जाने वाला फीस का रजिस्टर अभिप्रेत है ;
(च) 'रजिस्ट्रार' से अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया जाने वाला परिषद् का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;
(छ) 'फीस की अनुसूची' से इन नियमों के नियम 3 के उपनियम (1) के अधरीन विनिर्दिष्ट फीस की अनुसूची अभिप्रेत है ;
(ज) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; और
(झ) 'राज्य सरकार' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम के अधीन उनके हैं ।

3. **फीस.––**(1) परिषद् को इन नियमों के उपाबन्ध 'क' में दी गई फीसों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित फीस के संदाय के प्रत्येक आवेदन साथ किया जाएगा ।

(2) इन नियमों में यथाविहित, परिषद् को संदेय फीस, रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद् के पक्ष में जारी शिमला में संदेय, बैंक ड्राफ्ट या अदायगी (संदाय) आदेश द्वारा संदत्त की जाएगी । एक हजार रूपए से अनधिक रकम के लिए, परिषद, नकद संदाय स्वीकार कर सकेगी ।

(3) परिषद् को संदेय फीस, रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत परिषद् के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा परिषद् के निमित्त प्राप्त की जाएगी, और उसी दिन या जिस दिन इसे प्राप्त किया है, के आगामी दिन को, ऐसे बैंक और ऐसी शाखाओं, जैसी परिषद् समय–समय पर निदिष्ट करे, परिषद् द्वारा अनुरक्षित बैंक खाते में जमा की जाएगी और फीस प्राप्त किए जाने के बदले यथास्थिति, रजिस्ट्रार या फीस प्राप्त करने वाले कर्मचारी द्वारा उपाबन्ध 'ख' में दिए गए प्ररूप रसीद में दी जाएगी और इन नियमों के उपाबन्ध 'ग' में प्ररूप में इस प्रयोजन के लिए विहित रजिस्टर में प्रविष्ट (दर्ज) की जाएगी ।

(4) जब तक कि कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विरचित नियमों के विरूद्ध न हो, परिषद् जब आवश्यक समझे, उपनियम (3) के अधीन बैंक खाते में जमा की गई फीस को, अधिनियम के अधीन परिषद् के व्ययों की पूर्ति के लिए उपयोग करेगी ।

**4. प्रतिदाय.––**परिषद् द्वारा फीस हेतु प्राप्त की गई रकम का किन्हीं भी परिस्थितियों में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त रकम परिषद् के लेखे में ही जमा रहेगी :

परन्तु किसी याची द्वारा विहित फीस, से अधिक संदत की गई किसी रकम को परिषद् के निलंबन खाते (ऊचंत खाते) में जमा किया जाएगा और यदि तीन वर्ष की अवधि के भीतर दावा किया जाता है तो यह प्रतिदत की जा सकेगी और यदि उपरोक्त अवधि के भीतर प्रतिदाय हेतु कोई दावा नहीं किया जाता है तो रकम को परिषद् के खाते में जमा कर लिया जाएगा

————————

उपाबन्ध–क

(नियम 3 (1) देखें)
फीस की अनुसूची

| क्रम संख्या | आवेदन का स्वरूप | कानूनी उपबन्ध | फीस (रुपयों में) | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| 1. | रजिस्ट्रीकरण के लिए | रजिस्ट्रीकरण नियम के उपनियम (1) और (3) के साथ पठित धारा 15, 16 और 31 (2) (ज) | 1000 / – (एक हजार रुपए) | |
| 2. | अनंतिम रजिट्रीकरण के लिए। | रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम 4 के साथ पठित धारा 18 और 31 (2) (1) | 500 / – (पांच सौ रुपए) | |
| 3. | प्रत्येक अतिरिक्त अर्हताओं की प्रविष्टि करने के लिए। | रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम 8 के साथ पठित धारा 19 (5) और 31 (2) (ञ) | 500 / – (पांच सौ रुपए) | |
| 4. | रजिस्टर में नाम परिवतर्न अभिलिखित करने के लिए। | रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम 7 के साथ पठित धारा 19(4), 31 (2) (ञ) | 500 / – (पांच सौ रुपए) | |
| 5. | रजिस्ट्रीकरण / अनंतिम रजिट्रीकरण का द्विप्रतिक प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए। | रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम 15 के साथ पठित धारा 19 (6) और 31 (2) (ञ) | 100 / – (एक सौ रुपए) | |
| 6. | रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की सत्यापित प्रति जारी करने के लिए। | रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम 16 के साथ पठित धारा 20 (4) का (परन्तुक) | 100 / – (एक सौ रुपए) | जहां प्रति अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित है । 200 / – रुपए |
| 7. | रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए । | रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम 3(3), नियम 9 और नियम 10 के साथ पठित धारा 23 (2) और 31(2) (ड़) | 1000 / – (एक हजार रुपए) | |
| 8. | चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के प्रत्यावर्तन के लिए फीस | रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम 13 के साथ पठित धारा 22 (2) और 31 (2) (ठ) और (ड़) | 1000 / – (एक हजार रुपए) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | रजिस्ट्रीकरण के लिए विलम्ब फीस (अप्रतिदेय फीस)<br>(क) तारीख जब से रजिस्ट्रीकरण देय था 6 मास की अवधि तक;<br>(ख) छह मास से अधिक किन्तु एक वर्ष से पूर्व की अवधि के लिए ;<br>(ग) एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए। | धारा 31 (1)<br>————<br>————<br>———— | <br>शून्य<br>500 / – (पांच सौ रुपए)<br>500 / – (पांच सौ रुपए) जमा अतिरिक्त 500 / – (पांच सौ रुपए) प्रतिवर्ष | |
| 10. | रजिस्ट्रीकरण के<br><br>अनवीनीकरण के लिए विलम्ब फीस, (अप्रतिदेय फीस)–<br>(क) तारीख जब से रजिस्ट्रीकरण नवीकरण के लिए देय है छह मास की अवधि तक ;<br>(ख) छह मास से अधिक, किन्तु एक वर्ष तक की अवधि के लिए ;<br>(ग) एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए। | धारा 31 (1)<br>————<br>————<br>————<br>———— | <br><br><br>500 / –(पाचं सौ रुपए)<br>1000 / –(एक हजार रुपए)<br>1000 / – (एक हजार रुपए) जमा अतिरिक्त 1000 / – (एक हजार रुपए) प्रतिवर्ष | |
| 11. | अनापति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए । | रजिस्ट्रीकरण नियम का नियम–13 | 500 / – (पांच सौ रुपए) | |
| 12. | रजिस्ट्रार, परिषद् या कार्यकारी समिति द्वारा पारित आदशों / दस्तावजों की सत्यापित प्रतियों की | रजिस्ट्रीकरण नियम का नियम – 16 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | पूर्ति के लिए –<br>(क) यदि सम्यक अनुक्रम में अपेक्षित हो ;<br>(ख) यदि अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित हो । | | 5 / – पांच रुपए) प्रति पृष्ठ ।<br><br>न्यूनतम बीस रुपए के अध्यधीन 1 10 / –(दस रुपए) प्रति पृष्ठ | <br><br><br>पृष्ठ में शब्दों / पंक्तियों की संख्या का विचार किए बिना। |
| 13. | रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्ध परिषद् को अपील दाखिल करने के लिए –<br>(क) यदि अपील आवेदक के विरूद्ध पारित आदेश के विरूद्ध हो ;<br>(ख) यदि अपील आवेदक से अन्यथा किसी व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश के विरूद्ध हो । | साधारण नियमों के नियम 47 के साथ पठित धारा 24<br><br>––––––<br><br>–––––– | <br><br>100 / – (सौ रुपए)<br><br>200 / – (दो सौ रुपए) | |

**टिप्पण** :–इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, –

(क) 'रजिस्ट्रीकरण नियम' से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2011 अभिप्रेत है।
(ख) 'निर्वाचन नियम' से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (निर्वाचन) नियम, 2011 अभिप्रेत है ।
(ग) 'साधारण नियम' से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (साधारण) नियम, 2011अभिप्रेत है ।

———————

उपाबन्ध–ख

(नियम 3 (3) देखें)

| | |
|---|---|
| रसीद<br><br>हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद्<br><br>बही संख्या :<br><br>क्रम संख्या : तारीख :<br><br>श्री / श्रीमती–––––––––––––से––––––––––रुपए की राशि (––––––––––––––––––––––रुपए) –––––––––––––––––––––––––––––के लेखे (मद्दें) रोकड़ / अदायगी (संदाय) आदेश के माध्यम से / मांगदेय ड्राफट से प्राप्त की ।<br><br>रजिस्ट्रार | रसीद<br><br>हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद्<br><br>बही संख्या :<br><br>क्रम संख्या : तारीख :<br><br>श्री / श्रीमती–––––––––––––से––––––––रुपए की राशि (–––––––––––––––––––––––रुपए) –––––––––––––––––––––––––––––के लेखे (मद्दें) रोकड़ / अदायगी (संदाय) आदेश के माध्यम से मागं दये ड्राफट से प्राप्त की ।<br><br>रजिस्ट्रार |

उपाबन्ध–ग
(नियम 3 (3) देखें)

हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद् फीस का रजिस्टर

| क्रम संख्या | आवेदन संख्या | मांगदेय ड्राफ्ट / अदायगी (संदाय) आदेश विप्रेषित करने (छूट देने) वाले व्यक्ति का नाम | मांग देय ड्राफ्ट / अदायगी (संदाय) आदेश के विप्रेषण (रिमैटैस) का प्रयोजन | मांग देय ड्राफ्ट / अदायगी (संदाय) आदेश की संख्या और तारीख | मांग देय ड्राफ्ट / अदायगी (संदाय) आदेश लेखे की विशिष्टियां | बैंक का नाम | प्रविष्टि करने वाले लिपिक का नाम और अद्याक्षर | पदधारी जिसे मांगदेय ड्राफ्ट / अदायगी (संदाय) | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
सचिव (स्वास्थ्य)।

————————

**Final 18.10.2011**

*[Authoritative English Test of this Department Notification No. HFW-B(A)2-2/2001-II, dated ---------as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].*

**HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT**

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 23rd November, 2011*

**No. HFW-B(A)2-2/2001-II.—**Whereas the draft rules titled as the Himachal Pradesh Medical Council (Fee) Rules, 2011 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) on 11.9.2007 vide notification of even number dated 16.8.2007 for inviting objections and suggestions from person likely to be affected thereby as required under section-31 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003, within a period of 30 days from the date of publications ;

And, whereas no objection/suggestion has been received in this behalf from general public on the said draft rules during the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section-31 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

**RULES**

**1. Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Medical Council (Fees) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Definitions.—**(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "Act" means the Himachal Pradesh, Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003);
(b) "Annexure" means the annexure annexed to these rules;
(c) "Council" means the Himachal Pradesh Medical Council constituted under section 3 of the Act;
(d) "prescribed fee" means fee chargeable by the Council and prescribed in these rules;
(e) "register" means the register of fees to be maintained under sub-rule (3) of rule 3 of these rules;
(f) "Registrar" means the Registrar of the Council to be appointed under sub-section (1) of section 14 of the Act ;
(g) "Schedule of Fees" means Schedule of fees specified under sub-rule (1) of rule 3 of these rules;
(h) "section" means a section of the Act; and
(i) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh.

(2) The terms and expressions used herein and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively as assigned to them under the Act.

**3. Fees.—**(1) Every application to the Council shall be made alongwith payment of appropriate fees specified in the Schedule of Fees given in Annexure "A" to these rules.

(2) The fees payable to the Council, as prescribed in these rules, shall be paid by means of a Bank Draft or Pay Order drawn in favour of the Registrar, Himachal Pradesh State Medical Council, payable at Shimla. For amounts not exceeding Rs. 1000/- the Council may accept cash payments.

(3) The fees payable to the Council shall be received by the Registrar, or any other employee of the Council authorized by him in writing in this behalf, on behalf of the Council and shall be deposited on the same day, or the day following that on which these are received, in a Bank account to be maintained by the Council at such Bank and in such Branches as the Council may direct from time to time and receipt in the Form as given in Annexure "B" shall be given by the Registrar or the employee receiving the fees, as the case may be, in lieu of having received the fees, and shall be entered in the register prescribed for the purpose in the Form in Annexure "C" to these rules.

(4) Unless there is anything repugnant in the rules framed by the State Government in this behalf the Council shall, whenever it considers necessary, utilize the fees deposited in the Bank account under sub-rule (3) for meeting the expenses of the Council under the Act.

**4. Refund.—**Amounts received by the Council towards fees shall not be refunded under any circumstances. The amounts thus received shall remain credited to the account of the Council:

Provided that any amount paid by a petitioner in excess of the prescribed fees shall be credited to the suspense account of the Council and may be refunded if claimed within a period of three years and if no claim for refund is made within the aforesaid period the amount shall be credited to the account of the Council.

---

Annexure-A
[See rule 3 (1)
SCHEDULE OF FEES

| Sr. No. | Nature of application | Statutory provisions | Fees (in rupees) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1. | For registration | sections 15, 16 and 31 (2) (h) read with subrule (1) and (3) of registration rules. | 1,000/- | |
| 2. | For provisional Registration. | sections 18 and 31 (2) (i) read with rule 4 of registration rules. | 500/- | |
| 3. | For entering each additional qualifications. | Section 19 (5) and 31 (2) (j) read with rule 8 of registration rules. | 500/- | |
| 4. | For recording change of name in the register. | Section 19 (4), 31 (2) (j) read with rule 7 of the registration rules. | 500/- | |
| 5. | For issuance of duplicate certificate of registration/ provisional registration | Section 19 (6) and 31 (2) (j) Read with rule 15 of the Registration rules. | 100/- | |
| 6. | For issuance of a certified copy of an entry in the register. | Section 20 (4) (proviso) read with rule 16 of the registration rules. | 100/- | Rs. 200/- Where copy is urgently required. |
| 7. | For renewal of Registration. | Section 23 (2) and 31 (2) (m) read with rule 3 (3), rule 9 and rule 10 of the registration rules. | 1000/- | |
| 8. | Fees for restoration of Registration in the register of medical Practitioners. | Section 22 (2) and 31 (2) (l)and (m) read with rule 13 of the Registration 7rules. | 1000/- | |
| 9. | Late fee for nonregistration (non refundable fees) -<br>(a) upto period of six months from the date from which registration was due;<br>(b) for period more than six | Section 31 (1) | Nil<br>500/- | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | months but before 1 year;<br>(c) for period more than 1 year | | 500/- plus additional 500/- per year. | |
| 10. | Late fees for nonrenewal of registration, (nonrefundable fees)-<br>(a) upto six months from the date from which the registration is due for renewal<br>(b) for period more than six months, but upto one year.<br>(c) for period more than one year. | Section 31 (1) | 500/-<br>1000/-<br>1000/- plus additional 1000/- per year | |
| 11. | For issue of No Objection Certificate. | Rule 13 of the registration rules | 500/- | |
| 12. | For supply of certified copies of documents/ orders passed by the Registrar, Council or the Executive Committee-<br>(a) if required in due course<br>(b) if urgently Required. | Rule 16 of the registration rules | 5/- per page<br>10/- per page subject to minimum of twenty rupees. | Irrespective of number of words/ lines in a page. |
| 13. | For filing an appeal to the Council against the order of the Registrar<br>(a) if the appeal is against the order passed against the applicant;<br>(b) if the appeal is against the order passed against any person other than the applicant. | Section 24 read with rule 47 of the general rules. | Rs.100/-<br>Rs. 200/- | |

**Note:-**For the purposes of this Schedule,-

(a) "registration rules" means the Himachal Pradesh Medical Council (Registration) Rules, 2011.
(b) "election rules" means the Himachal Pradesh Medical Council (Election) Rules, 2011.
(c) "general rules" means the Himachal Pradesh Medical Council (General) Rules, 2011.

---

**Annexure-B**
**[See rule 3 (3)]**

<table>
<tr>
<td>RECEIPT<br><br>HIMACHAL PRADESH STATE MEDICAL COUNCIL<br><br>Book No.<br><br>Serial No. Dated:<br><br>Received from Shri/Shrimati……...……………<br>……………………………………….the sum of<br>Rs……………………..….(Rupees……….……)<br>on account of…………………………………….<br>in cash/through pay order/DD……………………<br><br>Registrar</td>
<td>RECEIPT<br><br>HIMACHAL PRADESH STATE MEDICAL COUNCIL<br><br>Book No.<br><br>Serial No. Dated:<br><br>Received from Shri/Shrimati………………….<br>…………...……………………………the sum<br>of Rs………………..(Rupees………………)<br>on account of ………………………………..<br>incash/through pay order/DD…………………<br><br>Registrar</td>
</tr>
</table>

Annexure-C
(See rule 3 (3)]

HIMACHAL PRADESH STATE MEDICAL COUNCIL REGISTER OF FEES

| Sr. No. | Appli-cation No. | Name of person Remitting Demand/ Draft/Pay Order | Purpose of remittance of Demand Draft/ Pay Order | No. & Date of Demand Draft/ Pay Order | Particulars of Demand Draft/Pay/ Order amount | Name of the Bank | Name & initials of Clerk Making entry | Name & initials of the officials to whome Demand Draft/ pay order has been passed | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

By order,
Sd/-
*Secretary (Health).*

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 25 नवम्बर, 2011

**संख्या एच.एफ.डब्ल्यू.–बी(ए)2–2 / 2001.**–प्रारूप नियम, नामतः हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (निर्वाचन), नियमों को हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 की धारा 31 के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, इनके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेपों और सुझावों को आमन्त्रित करने के लिए इस विभाग की समसंख्यक आधिसूचना, तारीख 16–8–2007 द्वारा, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (आसाधरण) में तारीख 12.9.2007 को प्रकाशित किया गया था; और नियत अवधि के दौरान प्रारूप नियमों की बाबत जनसाधारण से इस निमित्त कोई भी आक्षेप / सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 की धारा 31 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :–

### नियम
### भाग–1
### प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (निर्वाचन) नियम, 2011 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं.**–इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरूद्ध न हो.–

(क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश, चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 16) अभिप्रेत हैः–
(ख) ''परिषद्'' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है;
(ग) ''निर्वाचन'' या ''पुनः निर्वाचन'' से राज्य चिकित्सा परिषद् के लिए निर्वाचन या पुनः निर्वाचन अभिप्रेत है;
(घ) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
(ङ) "नामनिर्देशन ''(नामांकन)'' या ''पुनः नामनिर्देशन (नामांकन)'' से राज्य चिकित्सा परिषद् के लिए नामनिर्देशन या पुनः नामनिर्देशन अभिप्रेत है;
(च) ''राजपत्र'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
(छ) ''रजिस्टर'' से अधिनियम की धारा 15 के अधीन अनुरक्षित चिकित्सा व्यवसायियों का रजिस्टर अभिप्रेत है;
(ज) ''रजिस्ट्रार से अधिनियम की धारा 14 के अधीन परिषद् द्वारा नियुक्त समय–समय पर किया जाने वाला परिषद् का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;
(झ) ''रिटर्निंग अधिकारी'' से इन नियमों के नियम 3 के अधीन, इस रूप में कार्यरत, यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;
(ञ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; और
(ट) ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

## भाग–2
## राज्य चिकित्सा परिषद् के लिए निर्वाचन

3. **रिटर्निंग अधिकारी.**–रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार रिटर्निंग अधिकारी होगा। रिटर्निंग अधिकारी नई परिषद् के गठन के बारे में राज्य सरकार को सूचित करेगा और वह, विद्यमान परिषद् की अवधि के अवसान से कम से कम साठ दिन पूर्व, नई परिषद् के गठन के बारे में और प्रस्तावित निर्वाचन की अनुसूची के बारे में, राजपत्र में और दो अग्रणी समाचारपत्रों में भी अधिसूचित करवाएगा।

4. **नई परिषद् का गठन.**–नई परिषद् का गठन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात्:–

(क) रिटर्निंग अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित, चिकित्सा संकाय वाले प्रत्येक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष (डीन), प्रधानाचार्य, निदेशक को, अध्यापन संकाय के स्थायी सदस्यों में से, उसके चिकित्सा संकाय द्वारा प्रत्येक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एक सदस्य निर्वाचित करने के लिए सूचित करेगा। निर्वाचन, संबंधित महाविद्यालय द्वारा, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश के निदेश के अधीन आयोजित विशेष बैठक में, तीस दिन के भीतर संचालित और पूर्ण किया जाएगा, जिसमें निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं या उसका प्रतिनिधि, निर्वाचन कार्यवाहियों को देखेगा तथा निर्वाचित सदस्यों के नाम रिटर्निंग अधिकारी को सूचित किए जाएंगे।

(ख) रिटर्निंग अधिकारी, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संगम (हिमाचल प्रदेश मैडिकल आफिसरज ऐसोसिऐशन) को इसके सदस्यों में से एक सदस्य को परिषद् के लिए निर्वाचित किए जाने के बारे में सूचित करेगा। ऐसे सदस्य का निर्वाचन उक्त संगम (ऐसोसिऐशन) द्वारा, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश के निदेशों के अधीन आयोजित विशेष बैठक में तीस दिन के भीतर संचालित और पूर्ण किया जाएगा, जिसमें निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं या उसका प्रतिनिधि, निर्वाचन कार्यवाहियों की देख–रेख करेगा तथा निर्वाचित सदस्यों का नाम रिटर्निंग अधिकारी को सूचित किया जाएगा। ऐसी बैठक में, परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ही भाग लेंगे तथा मतदान करेंगे ।

**स्पष्टीकरण.**–इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, विनिश्चय करेगा कि कौन से संगम (एसोसिऐशन) को मान्यता प्राप्त है और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ग) रिटर्निंग अधिकारी, राज्य सरकार से, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम संख्याक 102) में यथाविहित अर्हताएं रखने वाले चार सदस्यों का, परिषद् में नामनिर्देशन हेतु अनुरोध करेगा। राज्य सरकार, तीस दिन के भीतर ऐसे चार सदस्यों के नाम रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगी।

(घ) रिटर्निंग अधिकारी, इन नियमों के भाग 3 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों द्वारा उनमें से धारा 3 के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले आठ सदस्यों के निर्वाचन का संचालन करेगा।

## भाग–3
## निर्वाचक नामावली का तैयार करना और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों में से सदस्यों के निर्वाचन का ढंग

5. **मतदाताओं की अर्हताएं.**–(1) कोई भी व्यक्ति मत देने या निर्वाचित किऐ जाने के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि–

(i) वह भारत का नागरिक न हो;
(ii) उसका नाम की धारा 15 के अधीन वर्णित रजिस्ट्रर मे दर्ज न हो, और

(iii) वह या तो अपना व्यवसाय कर रहा हो या हिमाचल प्रदेश राज्य में नियोजित हो।

(2) मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली से इस कारण से नहीं हटाया जाएगा कि अन्तिम रजिस्टर के प्रकाशन के पश्चात् निर्वाचक, उस हैसियत में नहीं रह गया हैं जिस में वह ऐसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था।

परन्तु यह कि किसी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हता हैसियत, जिसके आधार पर वह निर्वाचन चाह रहा है, लगातार बनाए रखे।

6. **निर्वाचक नामावली तैयार करना.**—(1) नियम 9 के उप—नियम 1 के अधीन जारी की गई निर्वाचन की सूचना (नोटिस) की तारीख को, निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली, परिषद् से रजिस्ट्रीकृत समस्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों से समाविष्ट होगी।

2. रजिस्ट्रार द्वारा निर्वाचन नामावली, धारा 15 के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायियों के नामों से अन्तर्विण (युक्त) रजिस्टर से तैयार की जाएगी और इसमें, परिषद् के सदस्य के निर्वाचन हेतु मत देने के लिए अर्हित प्रत्येक निर्वाचक का नाम, पिता का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या अन्तर्विष्ट होगी।

3. निर्वाचकों के नामों की एक प्रति बना कर, परिषद् के कार्यालय में प्रदर्शित करते हुए, निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवा कर, ऐसे क्रम में रखी जाएगी जिस क्रम में वे दावे या आक्षेप आमंत्रित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं।

4. रिटर्निंग अधिकारी, यह कथन करते हुए सूचना (नोटिस) प्रकाशित करेगा कि उपर्युक्त निर्वाचक नामावली से प्रविष्टियों या लोप से सम्बंधित कोई आक्षेप, सूचना (नोटिस) में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले आक्षेपों की सुनवाई की तारीख को या से पूर्व, रिटर्निंग अधिकारी को उसके कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान, प्रस्तुत किया जा सकेगा।

7. **दावे और आक्षेप दाखिल करने के लिए प्ररूप और उनके निपटान की रीति.—**1. नामावली मे नाम सम्मिलित करने हेतु प्रत्येक दावा और उसमें प्रविष्टि का प्रत्येक आक्षेप, इन नियमों के नियम 6 के उप—नियम (3) के अधीन नामावली के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर, क्रमशः प्ररूप—1 और—II में दाखिल किया जाएगा।

2. प्रारूप—1 में किया गया प्रत्येक दावा, उस व्यक्ति द्वारा, जो अपना नाम नामावली में सम्मिलित करने की अपेक्षा करता है, हस्ताक्षरित किया जाएगा।

3. नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए प्ररूप—II में प्रत्येक आक्षेप, उस व्यक्ति द्वारा जिस का नाम पहले से ही नामावली में सम्मिलित है, किया जाएगा और किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा जिसका नाम भी नामावली में सम्मिलित है, प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

4. यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे दावे या आक्षेप का रजिस्ट्रार द्वारा परीक्षण किया जाएगा, जो उस पर अपनी टिप्पणियां अभिलिखित करेगा, जिसके अनुसरण में वह, दावे या आक्षेप को या तो अनुज्ञात या अस्वीकार कर सकेगा :

परन्तु दावे या आक्षेप को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि दावा या आपेक्ष करने वाले व्यक्ति को, ऐसे अस्वीकृत किए जाने के विरूद्ध अभ्यावेदन (ब्यपदेशन) करने का अवसर न दे दिया जाए।

(5) दावे या आक्षेप को अनुज्ञात करने या अस्वीकृत किए जाने का, रजिस्ट्रार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

**8. नामावली का अन्तिम प्रकाशन.–**(1) रजिस्ट्रार, नियम–7 के अधीन दावों और आक्षेपों, यदि कोई हों, का निपटान करने के पश्चात, उक्त नियम के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए और नामावली में, तत्पश्चात् प्रकट हुई या उसके नोटिस में लाई, किसी लेखन भूल या मुद्रण सम्बन्धी भूल या अन्य अशुद्धियों को दूर करने के लिए संशोधनों की सूची तैयार करेगा।

(2) रजिस्ट्रार, संशोधनों की सूची सहित, नामावली की संपूर्ण प्रति बनाकर, इसे प्रकाशित करवाएगा (करेगा) और इसे परिषद् के कार्यालय में प्रदर्शित करके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवायेगा और ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने इसका प्रदाय (पूर्ति) करने हेतु आवेदन किया हो, को संदाय पर निर्वाचक नामावली की प्रतियों की पर्याप्त संख्या मुद्रित करवाएगा।

(3) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों की सूची सहित नामावली व्यक्तियों की निर्वाचक नामावली होगी जो अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य चिकित्सा परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन कर सकेंगे ।

(4) उप–नियम (2) के अधीन प्रकाशित संशोधनों सहित नामावली की प्रति रजिस्ट्रार द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

**9. निर्वाचन की सूचना.–**(1) जब कभी धारा 3 की उप–धारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन परिषद् के लिए निर्वाचन किया जाना है, या रिक्त भरी जानी है, तो रजिस्ट्रार निम्नलिखित ब्यौरे देते हुए और निर्वाचकों से सूचना (नोटिस) में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख तक, सदस्य या सदस्यों का निर्वाचन करने की अपेक्षा करते हुए, प्ररूप–III के अनुसार सूचना (नोटिस) जारी करेगा :–

(क) निर्वाचन की तारीख ;
(ख) भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या ;
(ग) तारीख और समय जब तक अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामांकन फाइल किए जाएगे ;
(घ) नामनिर्देशन (नामांकन) पत्रों की संवीक्षा की तारीख और समय;
(ङ) तारीख और समय जब तक कोई अभ्यर्थी अपना नामनिर्देशन (नामांकन) वापस ले सकेगा;
(च) मतों की गणना और परिणामों की घोषणा की तारीख; और
(छ) निर्वाचन की बाबत कोई अन्य सुसंगत जानकारी;

परन्तु––

(i) नामनिर्देशन (नामांकन) फाइल (दाखिल) करने हेतु तारीख, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् सातवां दिन, या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो अगला उत्तरवर्ती दिन जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है, होगा;

(ii) नामनिर्देशन (नामांकन) वापिस लेने की अंतिम तारीख, नामनिर्देशन (नामांकन) की संवीक्षा हेतु दिन के पश्चात् दूसरा दिन या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो अगला उत्तरवर्ती दिन जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है, होगा;

(iii) मतदान की तारीख, यदि आवश्यक हो, नामनिर्देशन (नामांकन) वापस लेने की अंतिम तारीख से तीसवें दिन से पूर्व नहीं होगी, और

(iv) मतों की गणना और परिणामों की घोषणा हेतु तारीख और समय, मतदान की तारीख से तीसरे दिन से परे (के पश्चात्) नहीं होगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन जारी सूचना (नोटिस) द्वारा परिषद् के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र भी आमंत्रित किए जाएंगे और उस स्थान को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जहां पर नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र परिदत्त किए जाने हैं।

(3) सूचना (नोटिस) की प्रति, अंग्रेजी और हिंदी के दो अग्रणी समाचार–पत्रों में प्रकाशित करने के साथ–साथ रजिस्ट्रार के कार्यालय के सूचना बोर्ड पर चिपकाई जाएगी।

**10. नामनिर्देशन (नामांकन) पत्रों की प्रस्तुति और विद्यिमान्य नामनिर्देशन (नामांकन) के लिए अपेक्षाएं**–(1) नियम 9 के उप–नियम (1) के अधीन नियत तारीख को या पहले, प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक नामनिर्देशन (नामांकन) हेतु प्रतिभूति के रूप में हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् को शिमला में संदेय 1000 / –रूपये (एक हजार रूपए) के बैंक ड्राफ्ट सहित प्रारूप –IV में नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को अभिस्वीकृती पत्र सहित, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा या व्यक्तिगत रूप से परिदत्त करेगा।

(2) प्रत्येक नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र, दो निर्वाचकों द्वारा एक प्रस्तावक (प्रस्थापक) के रूप में और अन्य समर्थक के रूप में, हस्ताक्षरित किया जाएगा। तथा उनके द्वारा प्रस्तावित और समर्थित अभ्यर्थी द्वारा अनुमत होगा :

परन्तु कोई भी निर्वाचक (मतदाता), जितने पद भरे जाने हैं उससे अधिक नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र, प्रस्तावक या समथर्क के रूप में हस्ताक्षरित नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि, यदि कोई निर्वाचक जितने पद भरे जाने है उनसे अधिक संख्या में नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र हस्ताक्षरित करता है, तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा, भरे जाने वाले पदों को संख्या के लिए पहले प्राप्त नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र यदि वे अन्यथा विधिवत हों, विधिमान्य होंगे तथा यदि उसी निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित समस्त ऐसे नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र, जो भरे जाने वाले पदों की संख्या से अधिक हो, साथ–साथ; (एक साथ हो), प्राप्त हुए हों, तो ऐसे समस्त नाम निर्देशन (नामांकन) पत्र अविधिमान्य होंगे।

(3) रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्येक नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र की प्राप्ति पर, उस पर उसकी प्राप्ति की तारीख और समय पृष्ठांकित करेगा।

**11. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण और प्रतिदाय.**–(1) यदि कोई अभ्यर्थी, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से नियम 10 में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप किया जा चुका है, निर्वाचित नहीं होता है और उसके पक्ष में डाले गए मतों की संख्या, डाले गए कुल विधिमान्य मतों के 1 / 6 से कम है या अभ्यर्थी के खाते में ठीक 1 / 6 विधिमान्य मत दर्ज (प्रविष्ट) हुए हैं, तो प्रतिभूति निक्षेप परिषद् को समपहृत हो जाएगी ।

(2) निम्नलिखित मामलों में प्रतिभूति निक्षेप, रिटर्निंग अधिकारी की सिफारिश पर, अध्यक्ष के लिखित आदेश द्वारा अभ्यर्थी को या यदि उसके द्वारा नहीं किया गया है, तो उस व्यक्ति को जिसके द्वारा उसे दिया गया था, या जहां अभ्यर्थी की मृत्यु हो चुकी हो तो उसके विधिक प्रतिनिधि को, उसका प्रतिदाय किया जाएगा।

(क) जहां अभ्यर्थी का नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र अस्वीकृत किया गया हो; या
(ख) जहां अभ्यर्थी ने विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना नामनिर्देशन (नामांकन) वापस लिया हो; या
(ग) जहां निर्वाचकों को मतपत्र जारी करने से पूर्व ही अभ्यर्थी की मृत्यु हो चुकी हो।

(3) निम्नलिखित मामलों में प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय, निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के पश्चात् किया जाएगा–

(क) जहां यद्यपि अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं हुआ हो, तथापि उप–नियम (1) के अधीन अपनी प्रतिभूति निक्षेप समपहृत नहीं करता है; या;
(ख) जहां अभ्यर्थी निर्वाचित हुआ हो।

**12. नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र की अस्वीकृति.**–नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उस निमित्त नियत तारीख को या पहले प्राप्त नहीं होता है, अस्वीकृत (नामंजर) किया जाएगा।

**13. नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र की प्रतिभूति.**–(1) नामनिर्देशन (नामांकन) पत्रों की संवीक्षा हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियत तारीख और समय पर, अभ्यर्थी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्तावक और समर्थक या अभ्यर्थियों द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य प्रतिनिधि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में

हाजिर हो सकेंगे, जो उन्हें समस्त अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन (नामांकन) पत्रों, जो उसके पास प्राप्त हुए हैं, की परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

(2) नामनिर्देशन (नामांकन) अविधिमान्य घोषित किया जाएगा।

(क) यदि प्रस्तावक या समर्थक ने रिक्तियों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों की नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र हस्ताक्षरित किए हो;

(ख) यदि नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र, अभ्यर्थी द्वारा या प्रस्तावक द्वारा या समर्थक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुआ हो ;

(ग) यदि नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र, रिटर्निंग अधिकारी को नाम द्वारा संबोधित नहीं किया गया हो और इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित तारीख और समय तक रजिस्ट्रीकृत आवरण / लिफाफे में उसके पास नहीं पहुंचता हो, या उसे व्यक्तिगत रूप से परिदत्त नहीं किया गया हो ;

(घ) नियम 10 के अधीन यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रतिभूति के रूप में निक्षिप्त किए जाने हेतु अपेक्षित 1000 / रूपए (एक हजार रूपए) की राशि, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियत तारीख और समय के भीतर प्राप्त नहीं की गई हो;

(ङ) यदि इसमें प्रस्तावक और समर्थक की रजिस्ट्रीकरण संख्या नहीं हो या यदि रजिस्ट्रीकरण संख्या गलत हो;

(च) यदि अभ्यर्थी के पास वे अपेक्षित अर्हताएं या क्षमता न रह गई हो, जिसके आधार पर वह निर्वाचन चाह रहा हो; और

(छ) यदि अभ्यर्थी अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए निरर्हित हो।

(3) रिटर्निंग अधिकारी, इस प्रकार प्राप्त नामनिर्देशन (नामांकन) पत्रों की परीक्षा (जांच–पड़ताल) करेगा और ऐसे समस्त प्रश्नों को विनिश्चित करेगा, जो किसी नामनिर्देशन (नामांकन) की विधिमान्यता की बावत उत्पन्न हो सकते हों तथा उन पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

**14. नामनिर्देशन (नामांकन) वापस लेना**.–(1) कोई भी अभ्यर्थी, नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन नियत तारीख से पूर्व, रिटर्निंग अधिकारी को, उसके द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित में, नोटिस परिदत्त करके, अपना नामनिर्देशन (नामांकित) वापस ले सकता है।

(2) अभ्यर्थी जिसने अपना नामनिर्देशन (नामांकन) वापस लिया हो, उसे (वापिस लिया जाना) रद्द करने के लिए या उसी निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के रूप में पुनः नामनिदिष्ट (नामांकित) किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

**15. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.–**(1) नियम 14 के अधीन, उस अवधि के अवसान के ठीक पश्चात् जिसके भीतर अभ्यर्थिता को वापस लिया जा सकता है, रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों अर्थात् अभ्यर्थी जो विद्यिमान्य रूप से नामांकित हुए थे और जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता को उक्त अवधि के भीतर वापस नहीं लिया है, की सूची तैयार करेगा तथा राज्य में अग्रणी समाचार–पत्रों में से किसी एक में प्रकाशित करवाएगा।

(2) उक्त सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम (वर्णक्रम में) और पते अन्तर्विष्ट होंगे।

(3) उक्त सूची राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और उसका ऐसी रीति में व्यापक प्रचार किया जाएगा, जैसा रिटर्निंग अधिकारी उचित समझे।

**16. मतदान**.–(1) यदि निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन (नामांकन) दाखिल (फाइल) करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होती, तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों को तत्काल सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो, तो रिटर्निंग अधिकारी मतदान के लिए नियत तारीख से पूर्व तीस दिन अपश्चात, प्रारूप–6 में संख्यांकित घोषणा पत्र के साथ प्रत्येक अन्य निर्वाचक को प्ररूप V में सूचना पत्र, अभ्यर्थियों के नाम वर्णक्रम में अन्तर्विष्ट करते हुए और रिटर्निंग अधिकारी के आद्यक्षर या प्रतिरूप हस्ताक्षर वाला प्ररूप–7 में मतदान पत्र, रिटर्निंग अधिकारी को संबोधित मतदान पत्र आवरण तथा उक्त अधिकारी को संबोधित बाह्य आवरण भी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगाः परन्तु रिटर्निंग अधिकारी को किसी निर्वाचक के आवेदन पर मत पत्र और अन्य संसक्त (संबद्ध) पत्र, मतदान के लिए नियत तारीख से पूर्व भी भेजे जा सकते हैं ; यदि रिटर्निंग अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पत्र उसे नहीं भेजे गए हैं ।

(3) निर्वाचक को भेजे सूचना के प्रत्येक ऐसे पत्र की बाबत, डाक का प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त किया जाएगा।

(4) कोई निर्वाचक, जिसे उसको डाक द्वारा भेजे गए मतदान और अन्य सम्बद्ध पत्र प्राप्त नहीं हुए हों या जिसने उन्हें खो दिया हो या जिसके मामले में पत्र रिटर्निंग अधिकारी को वापस करने से पूर्व ही अनवधानता से खराब (विकृत) हो गए हों, उस प्रभाव की घोषणा, लिखित रूप में पारेषित कर सकेगा और रिटर्निंग अधिकारी को मतदान के लिए नियत तारीख से पूर्व पन्द्रह दिन अपश्चात उसे नए पत्र भेजने के लिए प्रार्थना कर सकेगा तथा यदि पत्र खराब (विकृत) हुए हों, तो खराब (विकृत) हुए पत्र, रिटर्निंग अधिकारी को वापस किए जाएंगे, जो प्राप्त करने पर उन्हें रद्द करेगा।

(5) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें ऐसे नए पत्र जारी किए गए हों, नामावली में, यह घोषित करने के लिए उसे नए पत्र जारी किए गए हैं, निर्वाचक के नाम से संबन्धित संख्या के सामने एक चिन्ह लगाया जाएगा।

(6) निर्वाचक द्वारा उसके मतपत्र और अन्य संबद्ध पत्रों के प्राप्त न होने के कारण कोई भी निर्वाचन अविधिमान्य नहीं होगा।

(7) प्रत्येक निर्वाचक को उतने अभ्यर्थियों को मतदान करने का अधिकार होगा, जितने स्थान / पद, निर्वाचन द्वारा भरे जाने हैं तथा मत अनंतरणीय होगा।

(8) प्रत्येक निर्वाचक जो सूचना–पत्र (प्ररूप–5) में दिए गए निर्देश के अनुसार घोषणा–पत्र (प्ररूप–6) और मत पत्र (प्ररूप–7) भरने के पश्चात् अपना मत अभिलिखित करने का इच्छुक हो तो मतपत्र को मत आवरण (लिफाफे) में संलग्न करेगा, चिपकाएगा और घोषणा पत्र के साथ उक्त आवरण (लिफाफे) को रिटर्निंग अधिकारी को सम्बोधित बाह्य लिफाफे में संलग्न करेगा तथा उस बाह्य लिफाफे को डाक द्वारा, निर्वाचक की अपनी लागत पर या दस्ती, रिटर्निंग अधिकारी को इस प्रकार भेजेगा ताकि यह उसके पास मतदान के लिए नियत तारीख पर, मतदान बन्द करने हेतु नियत समय से अपश्चात (पूर्व) पहुंचे।

(9) घोषणा–पत्र से युक्त लिफाफे और मतपत्र से युक्त बन्द आवरण (लिफाफे) की डाक द्वारा या दस्ती प्राप्ति पर रिटर्निंग अधिकारी बाह्य, लिफाफे पर इसकी प्राप्ति की तारीख और समय परिवेष्टित करेगा।

(10) उक्त दिवस और समय के पश्चात् प्राप्त समस्त लिफाफे अस्वीकृत किए जाएंगे।

**17. आवरण (लिफाफे) का खोला जाना.–**(1) रिटर्निंग अधिकारी, मतदान के लिए नियत समय की समाप्ति के ठीक पश्चात् समस्त बाह्य लिफाफे खोलेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, उस समय जब बाह्य लिफाफे खोले जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह सकता है या उस समय उपस्थित रहने हेतु अपना सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि भेज सकेगा।

**18. मतपत्र आवरणों (लिफाफों) की अस्वीकृति.**–(1) कोई मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत (नामंजूर) किया जाएगा, यदि –

(क) मतपत्र आवरण के बाहर, बाह्य लिफाफे में कोई घोषणा–पत्र अन्तर्विष्ट नहीं हो; या–

(ख) घोषणा–पत्र वह नहीं है जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजा गया था; या

(ग) घोषणा–पत्र निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित, नहीं किया गया है; या

(घ) मतपत्र को मतपत्र आवरण के बाहर रखा गया है; या

(ङ) उसी (एक ही) बाह्य लिफाफे में, एक से अधिक घोषणा–पत्र या मतपत्र आवरण संलग्न किए गए हैं।

(2) अस्वीकृति (नामंजूरी) के प्रत्येक मामले में मतपत्र, आवरण और घोषणा पत्र पर ''अस्वीकृत'' शब्द पृष्ठांकित किया जाएगा। मतपत्र आवरण पर, अस्वीकृत के लिए कारण भी, संक्षेप में अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) रिटर्निंग अधिकारी अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि निर्वाचकों ने घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, नियम 22 के अधीन निपटारा होने तक समस्त घोषणा–पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

**19. संवीक्षा और मतों की गणना.**–(1) मतों की गणना हेतु नियत तारीख को नियम 18 के अधीन अस्वीकृत से भिन्न मतपत्र आवरण खोले जाएंगे और निकाले गए मतपत्र इकट्ठे मिलाए / मिश्रित किए जाएंगे।

(2) मतपत्रों की उसके बाद संवीक्षा की जाएगी और विधिमान्य मतों की गणना की जाएगी।

(3) गणना की प्रक्रिया को देखने हेतु कोई अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह सकता है या उसके द्वारा सम्यक् रूप से लिखित में प्राधिकृत अपना प्रतिनिधि भेज सकता है।

(4) मतपत्र अविधिमान्य होगा यदि, –

(क) इस पर रिटर्निंग अधिकारी के आद्यक्षर या प्रतिरूप हस्ताक्षर न हो; या

(ख) मतदाता, मतपत्र पर अपना नाम हस्ताक्षरित करता है या इस पर कोई शब्द लिखता है या इस पर कोई चिन्ह बनाता है, जिसके द्वारा यह उसके मतपत्र के रूप में पहचान किए जाने योग्य बन जाता है; या

(ग) उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं है; या

(घ) यह अभिलिखित मत की अनिश्चितता के कारण शून्य है; या

(ङ) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक है; या

(च) मत का अभिलेखन इस प्रयोजन के लिए उपबंधित से भिन्न स्थान पर या रीति में किया गया है।

(5) रिटर्निंग अधिकारी, यदि ऐसा निवेदन किया गया है तो, संवीक्षा या मतों की गणना के समय, मतपत्र अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को दिखाएगा।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी या उसका प्रतिनिधि, इस आधार पर कि यह विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है, मतपत्र की स्वीकृति पर या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र की अस्वीकृति पर कोई आक्षेप करता है, तो इसका विनिश्चय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तत्काल किया जाएगा, जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

(7) रिटर्निंग अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए जाने वाले ऐसे निदेशों के अनुसार, मतों की गणना हेतु, जैसी वह उचित समझे व्यक्तियों की संख्या नामनिर्दिष्ट करेगा ।

**20. पुनर्गणना के लिए व्यवस्था (उपबन्ध).**–कोई अभ्यर्थी या उसका अभिकर्त्ता, मतों की गणना के दौरान किसी भी समय रिटन्रिंग अधिकारी को समस्त अभ्यर्थियों या किसी अभ्यर्थी के मतों की पुनर्गणना करने के लिए, लिखित में, निवेदन कर सकता है तथा रिटर्निंग अधिकारी तद्नुसार तत्काल उनकी पुनर्गणना करेगा। रिटर्निंग अधिकारी प्रायः किसी ऐसे मामले में, जिसमें किसी पूर्व गणना की शुद्धता के बारे में उसका समाधान

न हुआ हो, अपने स्वविवेक से, एक या अधिक बार मतों की पुनर्गणना कर सकता है, परन्तु एक से अधिक बार मतों की पुनर्गणना करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी बाध्यकर नहीं होगा।

**21. परिणामों की घोषणा.**—(1) जब मतों की गणना पूर्ण कर ली गई हो, तो रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में, अधिक मत प्राप्त होने के क्रम में अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा तथा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के अनुसार उस क्रम में सफल अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करेगा।

(2) यदि इस प्रकार निर्वाचित घोषित कोई अभ्यर्थी निर्वाचन स्वीकार करने से इंकार करता है, तो उस अभ्यर्थी के स्थान पर शेष अभ्यर्थियों में से कोई एक जिसे मतों की अगली अधिकतम संख्या प्राप्त हुई हो, निर्वाचित हुआ समझा जाएगा तथा वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो प्रायः इस प्रकार रिक्ति होने पर अपनायी जाती है।

(3) जब किन्हीं दो या अधिक अभ्यर्थियों के मध्य मतों की समानता हो तो, यथास्थिति, व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें निर्वाचित हुआ समझा जाएगा, रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा, ऐसी रीति में जिसे वह अवधारित करें, प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा लॉट द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(4) जैसे ही परिणाम घोषित किया जाता है, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को उसके राज्य चिकित्सा परिषद् में निर्वाचित किए जाने के बारे में सूचित करेगा।

**22. मत पत्र रखे रखना.**—गणना पूर्ण होने पर और परिणाम घोषित हो जाने पर, रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों और निर्वाचन से सम्बंधित समस्त अन्य दस्तावेजों को सील करेगा और उन्हें छह मास की अवधि के लिए रखे रखेगा तथा राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना उक्त छह मास के अवसान के पश्चात् भी इन अभिलेखों को नष्ट नहीं करेगा या नष्ट नहीं करवाएगा।

**23. निर्वाचन के परिणामों की सूचना.**—(1) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार को अधिनियम की धारा—3 की उपधारा—(9) के अधीन राजपत्र में उनके नाम प्रकाशित करने की इसकी कानूनी बाध्यता को पूर्ण करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सूचित करेगा।

(2) निर्वाचन की बाबत किसी विवाद की दशा में, जिसे उक्त निर्वाचक के परिणाम की घोषणा के पन्द्रह दिन के भीतर, रिटर्निंग अधिकारी के पास दाखिल किया जा सकता है, इसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन किसी अधिकारी को, जो सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, के माध्यम से राज्य सरकार को इसके विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा; जो अंतिम होगा।

## भाग—IV

## राज्य चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन

**24. राज्य चिकित्सा परिषद् के सदस्यों का रजिस्टर.**—राज्य चिकित्सा परिषद् का कार्यालय, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (साधारण) नियम् 2011 के नियम 5 के अधीन यथा अपेक्षित एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें समय—समय पर निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम और अन्य ब्यौरे दिए जाएंगे।

**25. राज्य चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया.**—(1) यथाशक्य शीघ्र और नई परिषद् के गठन के 15 दिन अपश्चात्, परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन, परिषद के सदस्यों द्वारा उनमें से, यथास्थिति, इसके गठन या पुनर्गठन के पश्चात् उक्त परिषद् की प्रथम बैठक में किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार, बैठक में उपस्थित सदस्यों को उक्त अध्यक्ष के पद के लिए नामनिर्देशन (नामांकन) करने हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक नामनिर्देशन (नामांकन) बैठक में उपस्थित एक अन्य सदस्य द्वारा समर्थक के रूप में समर्थित किया जाएगा :

परन्तु कोई भी सदस्य, अध्यक्ष के पद के लिए एक से अधिक सदस्य को नामनिर्दिष्ट या समर्थित नहीं करेगा।

(3) यदि इस प्रकार नामनिर्दिष्ट मात्र एक ही व्यक्ति है, तो उसे परिषद् के अध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(4) तथापि, यदि अध्यक्ष के पद के लिए एक से अधिक सदस्य सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट और समर्थित हैं, तो रजिस्ट्रार मतों पर आगामी कार्यवाही निम्नलिखित रीति में करेगा, अर्थातः–

(क) प्रत्येक उपस्थित सदस्य को कागज की एक–एक पर्ची दी जाएगी, जिस पर सदस्य, उस अभ्यर्थी का नाम लिखेगा जिसके पक्ष में वह मतदान करना चाहता है। वह फिर पर्ची को मोड़ने के पश्चात् इसे रजिस्ट्रार को दे देगा।

(ख) रजिस्ट्रार, समस्त पर्चियों की प्राप्ति के पश्चात्, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की गणना करेगा तथा उस सदस्य को, जिसने सर्वाधिक मत प्राप्त किए है, सम्यक् रूप से अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित करेगा।

(ग) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बराबर हो, तो रजिस्ट्रार, मामले का विनिश्चय लॉट द्वारा, ऐसी रीति में कर सकता है, जो वह उचित समझे तथा लाटरी द्वारा इस प्रकार अवधारित सदस्य, सम्यक् रूप से परिषद् का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

**26. राज्य चिकित्सा परिषद् के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया.**–(1) नियम 25 के अधीन, निर्वाचित किए जाने के पश्चात् अध्यक्ष, अध्यक्षता करेगा तथा राज्य चिकित्सा परिषद् के सदस्य, उन में से परिषद् के उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए प्रस्तावित करेंगे।

(2) नियम 25 में अधिकथित प्रक्रिया केवल उसी मामले में अपनायी जाएगी जहां मत बराबर हों, अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

————————

**प्ररूप–1**
**(नियम 7 देखें)**
**निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए दावा**

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद्,
शिमला।

महोदय,

मैं एतद्द्वारा, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्या 16) के अधीन विरचित हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद (निर्वाचन) नियम, 2009 के नियम 7 के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के आगामी निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दावा फाइल (दाखिल) करता / करती हूं। सुसंगत ब्यौरे नीचे दिए गए हैः–

नाम .....
पता .....
.....
.....
शैक्षिक अर्हताएं
.....

पदनाम और शाासकीय (पदीय) पता, यदि कोई हो : .....
दावे के लिए आधार (सबूत सहित, यदि कोई है) .....

मैं घोषणा करता / करती हूं कि मैं भारत का / की नागरिक हूं / रही हूं राज्य का / की निवासी हूं ।..... ..... राज्य में व्यवसायरत / नियोजित हूॅ।

(दावेदार का हस्ताक्षरण)

स्थानः .....
तारीखः .....

————————

**प्ररूप–2**
**(नियम 7 देखें)**
**प्रारूप निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि पर आक्षेप**

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद्,
शिमला ।

महोदय,

मैं एतद्द्वारा, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्या 16) के अधीन विरचित हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (निर्वाचन) नियम, 2011 के नियम 7 के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के आगामी निर्वाचन के संबंध, में आप के द्वारा तैयार की गई निर्वाचक नामावली में, निम्नलिखित प्रविष्टि के लिए, अपना आक्षेप (दाखिल) करता / करती हूॅ :

1. व्यक्ति का नाम (बड़े अक्षरों में)
निर्वाचक नामावली में जिसके नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप किया गया है.....

2. आक्षैप की गई प्रविष्टि की विशिष्टियां.....

3. प्रविष्टि पर आक्षेपों के आधार.....

आक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर)

स्थानः .....
तारीख : .....

क्रम संख्या और आक्षेपकर्ता का नाम जैसा निर्वाचक नामावली में दर्ज किया गया है.....

आक्षेपकर्ता का पता .....

(प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान : .....
तारीखः .....

क्रम संख्या और प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम, जैसा कि निर्वाचक नामावली में दर्ज है।

..... प्रति हस्तक्षार करने वाले व्यक्ति का पता.....

**प्ररूप–3**

**(नियम 9 देखें)**

**हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्, निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना**

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि:,–

1) परिषद् के रजिस्टर में दर्ज रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों में से .....सदस्यों के निर्वाचन हेतु ..... तारीख को निर्वाचन किया जाना है।

2) नामनिर्देशन पत्र, अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्थापक द्वारा ..... को या उससे पूर्व व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को परिदत्त किया जा सकेगा।

3) नामनिर्देशन पत्र का प्ररूप, रिटर्निंग अधिकारी से, उसके कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को केवल ..... रूपए के संदाय पर, प्राप्त किया जा सकेगा।

4) नामनिर्देशन .....(तारीख) को संवीक्षा हेतु लिया जाएगा।

5) अभ्यर्थियता वापस लेने की सूचना, अभ्यर्थी द्वारा या इस प्रयोजन हेतु लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत, उसके प्रस्थापक द्वारा, रिटर्निंग अधिकारी को .....(समय) तक ..... तारीख को परिदत्त की जा सकेगी।

6) मतों की गणना ..... को .....रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में की जाएगी और केवल उपरोक्त तारीख और समय तक प्राप्त चिन्हित (चिन्हांकित) मत–पत्र की ही गणना की जाएगी।

7) परिणाम, मतों की गणना के तुरन्त पश्चात् घोषित किए जाएंगे।

(नाम)
रिटर्निंग अधिकारी

स्थान:.....
तारीख: .....

————————

**प्ररूप–4**

**(नियम 10 देखें)**

**नामनिर्देशन (नामांकन पत्र)**

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् का निर्वाचन।

1. अभ्यर्थी का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. आयु और जन्म–तिथि.....
4. अर्हता की प्रकृति.....
5. रजिस्ट्रीकृत संख्या (राज्य चिकित्सा रजिस्ट्रर में).....
6. राज्य चिकित्सा रजिस्टर या इसका परिशिष्ट (वर्ष दर्शाते हुए) जिसमें नाम लिखे हैं, की पृष्ठ संख्या .....
7. नामावली में (क्रम संख्या).....
8. पता; मकान संख्या.....
   ब्लाक / गली संख्या.....
   ग्राम / नगर.....
   डाकघर.....
   पिन कोड.....
9. प्रस्तावक (प्रस्थापक) का नाम .....
10. प्रस्तावक (प्रस्थापक) के हस्ताक्षर .....

11. राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रस्तावक (प्रस्थापक) की रजिस्ट्रीकरण संख्या और उक्त रजिस्टर या उसका परिशिष्ट (वर्ष दर्शाते हुए) जिसमें नाम लिखा है, की पृष्ठ संख्या.....
12. नामावली में क्रम संख्या.....
13. समर्थक का नाम.....
14. समर्थक के हस्ताक्षर.....
15. राज्य चिकित्सा रजिस्टर में समर्थक की रजिस्ट्रीकरण संख्या और उक्त रजिस्टर या उसका परिशिष्ट, (वर्ष दर्शाते हुए) जिसमें नाम लिखे हैं, की पृष्ठ संख्या.....
16. नामावली में क्रम संख्या .....

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा :

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि मैं इस नामनिर्देशन (नामांकन) से सहमत हूँ।

.....(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

यह नाम निर्देशन (नामांकन) पत्र मेरे द्वारा ..... (स्थान) में ..... (तारीख) को ..... (समय) पर प्राप्त किया गया।

(रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

रिटर्निंग अधिकारी का नामनिर्देशन (नामांकन) पत्रों को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का विनिश्चिय मैंने इस नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र का विधि के अनुसार परीक्षण कर लिया है और निम्नलिखित विनिश्चय किया है:–

स्थानः
तारीखः

रिटर्निंग अधिकारी,

अनुदेश

नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा .....(समय) से पूर्व ..... को प्राप्त नहीं किया गया है, अविधिमान्य होगी।

————————

**प्ररूप–5**
**(नियम 16 के उप–नियम (2) और (8) देखें)**
**सूचना पत्र**

महोदय / महोदया,

ऐसे व्यक्ति जिनके नाम संलग्न मतपत्र में मुद्रित हैं, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद् के निर्वाचन हेतु सम्यक रूप से अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट हैं । यदि आप निर्वाचन में वोटे डालने की वांछा रखते हैं, तो, मैं आपसे निवेदन करता / करती हूँ कि :–

(क) प्रारूप–6 घोषणा पत्र को भर कर हस्ताक्षर करें;
(ख) मतपत्र पर मुद्रित अनुदेशों के अनुसार मतपत्र (प्ररूप 7) में प्रयोजन हेतु उपबंधित स्तम्भ में अपना वोट चिन्हांकित (चिन्हित) करें।
(ग) मतपत्र को छोटे लिफाफे में बन्द कर के संलग्न करें; और
(घ) छोटे लिफाफे और घोषणापत्र को, बाहरी लिफाफे, जो आकार में बड़ा है और जिस पर पहले से ही मेरा पता मुद्रित है, संलग्न करें, और इसे अपने खर्च पर डाक द्वारा मुझे वापस करें या

स्वयं मेरे कार्यालय में परिदत्त करें। जिससे यह मेरे कार्यालय में..... तारीख .....20..... से पूर्व पहुंच जाएं।

2. मतपत्र अस्वीकृत किए जाएंगे यदि, .....

(क) बाहरी लिफाफा, जिसमें मतपत्र लिफाफा या घोषणा पत्र संलग्न है, डाक द्वारा नहीं भेजा गया है या मेरे कार्यालय में स्वयं परिदत्त नहीं किया गया है या मतदान बन्द (समाप्त) करने के नियत समय के पश्चात् प्राप्त किया गया है;
(ख) बाहरी लिफाफे में, छोटे लिफाफे के बाहर कोई घोषणा पत्र (अन्तर्विष्ट) न हो; या
(ग) मतपत्र, मतपत्र लिफाफे के बाहर रखा हो; या
(घ) घोषणा पत्र वह न हो, जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदाता को भेजा है; या
(ङ) एक या एक से अधिक घोषणा पत्र या मतपत्र लिफाफा एक या उसी बाहरी लिफाफे में संलग्न हो; या
(च) निर्वाचक (मतदाता) द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर न किए हो; या
(छ) मतपत्र अविधिमान्य हो।

3. मतपत्र अविधिमान्य होगा, यदि
(i) उस पर रिटन्रिंग अधिकारी के आद्याक्षर; या अनुलिपि (प्रतिरूप) हस्ताक्षर न हो, या
(ii) किसी मतदाता ने, मतपत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर किया हो, या उस पर कोई शब्द लिखा हो या कोई चिन्ह बनाया हो, जिससे यह अभिज्ञय होता हो, कि यह मतपत्र उसका है; या
(iii) उस पर कोई मत अभिलिखित न हो; या
(iv) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या, निर्वाचित की जाने वाली संख्या से अधिक हो; या
(v) प्रयुक्त मत की अनिश्चितता हेतु शून्य है।

4. यदि कोई मतदाता, भूल / असावधानी / अनवधानता से कोई मतपत्र खराब कर देता है, तो वह मतदान के लिए नियत तारीख से 15 दिन अपश्चात् रिटर्निंग अधिकारी को वापस कर सकेगा, जो ऐसी अनवधानता का समाधान हो जाने पर उसे दूसरा मतपत्र जारी करेगा।

5. मतों की गणना और संवीक्षा ..... (तारीख) को ..... (समय) पर शुरू होगी।

6. रिटर्निंग अधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे वह अपनी सहायता के लिए नियुक्त करे; अभ्यर्थी या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उनके प्रतिनिधियों के सिवाय कोई भी व्यक्ति संवीक्षा और गणना के समय उपस्थित नहीं होगा।

रिटर्निंग अधिकारी,

————————

**प्ररूप–6**
**(नियम 16 का उप–नियम (2) और 8 देखें)**
**घोषणा पत्र**

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम् 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् का निर्वाचन।

निर्वाचक का नाम .....

राज्य चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण संख्या और उस रजिस्टर या उसके परिशिष्ट (वर्ष दर्शाते हुए) जिसमें नाम लिखें हैं, की पृष्ठ संख्या।

**निर्वाचक की घोषणा**

मैं .....(पूरा नाम और पदनाम् यदि कोई है) घोषणा करता / करती हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक (मतदाता) हूं ।

स्थानः
तारीखः

निर्वाचक (मतदाता) के हस्ताक्षर

————————

**प्ररूप–7**
**(नियम 16 का उप–नियम (2) और (8) देखें)**
**मतपत्र**

मतपत्र की क्रम संख्या ....., ..... सदस्य (सदस्यों) को हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 16) के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद् का / के सदस्य निर्वाचित किया गया है / किए गये हैं।

| क्रम संख्या | सम्यक् रूप से नामनिर्देशित अभ्यर्थी का नाम व पता | मत (वोट) |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |

रिटर्निंग अधिकारी के आद्याक्षर (प्रतिरूप) / अनुलिपि हस्ताक्षर / निर्देश।

1. प्रत्येक निर्वाचक (मतदाता) को, जितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है उतने अभ्यर्थियों के लिए मत डालने का अधिकार है।

2. वह, उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें वह अद्यिमान देना चाहे के नाम (नामों) के सामने 'X' का चिन्ह लगाकर मत देगा।

3. मत पत्र अविधिमान्य होगा, यदि.....

(क) उस पर रिटर्निंग अधिकारी के आद्याक्षर या अनुलिपि (प्रतिरूप) हस्ताक्षर न हो; या

(ख) किसी मतदाता ने, मतपत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर किया हो, या उस पर कोई शब्द लिखा हो या कोई चिन्ह बनाया हो, जिससे यह अभिज्ञेय होता हो कि यह मतपत्र उसका है; या

(ग) उस पर कोई मत (वोट) अभिलिखित न हो; या

(घ) 'X' चिन्ह इस प्रकार लगाया गया है कि यह संदेहपूर्ण बन जाए कि यह किस अभ्यर्थी को उपयोजित करने के लिए आशयित है, या यदि, इसे निर्वाचित किए जाने के लिए अपेक्षित अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक नामों के सामने रखा (लिखा) गया है; संख्या का उपदर्शित किया जाना।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव (स्वास्थ्य)।

Final (18.10.2011)

*[Authoritative English Test of this Department Notification No. HFW-B(A)2-2/2001-_____, dated as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India]*.

**HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT**

NOTIFICATION

*Shimla -2, the 25th November, 2011*

**No. HFW-B(A)2-2/2001.—**Whereas, the draft rules titled as the Himachal Pradesh Medical Council ( Election ) rules were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) on 12.9.2007, vide this department notification of even number dated 16.8.2007 for inviting objections and suggestions from person likely to be affected thereby as required under section-31 of the Himachal Pradesh Medical Council Act,2003, within a period of 30 days from the date of publications ;

And whereas, no objection/suggestion has been received in this behalf from general public on the said draft rules during the stipulated period ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section-31 of the Himachal Pradesh Medical Council Act,2003, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to **make** the following rules, namely:-

**RULES**
**PART-1**
**PRELIMINARY**

**1. Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Medical Council (Election) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Hiamchal Pradesh.

**2. Definitions.-**(1) In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context,-

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003);

(b) " Council" means the Himachal Pradesh Medical Council constituted under section 3 of the Act;

(c) "Election" or "re-election" means election or re-election to the State Medical Council;

(d) "Form" means a Form appended to these rules;

(e) "nomination" or "re-nomination" means nomination or renomination to the State Medical Council;

(f) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(g) "register" means the Medical Practitioner's register maintained under section 15 of the Act;

(h) "Registrar" means the Registrar of Council to be appointed by the Council from time to time under section 14 of the Act;

(i) "Returning Officer" means the Registrar or the Deputy Registrar, as the case may be, acting as such under rule 3 of these rules;

(j) "section" means a section of the Act; and

(k) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act .

## PART-II
## ELECTION TO STATE MEDICAL COUNCIL

**3. Returning Officer.-**The Registrar or the Deputy Registrar shall be the Returning Officer. The Returning Officer shall inform the State Government about the constitution of a new Council and he shall also notify in the Official Gazette and in two leading newspapers, at least sixty days prior to the expiry of the tenure of the existing Council, about the constitution of a new Council and about the proposed schedule of election.

**4. Constitution of new Council.-**The following procedure shall be followed for the purpose of constituting the new Council, namely,-

(a) the Returning Officer shall intimate to the Dean/Principal/Director of every Government Medical College established by law in the State of Himachal Pradesh, having a medical faculty to elect one member from each Government Medical College by the medical faculty thereof from amongst the permanent members of the teaching faculty. The election shall be conducted and completed by the respective College, within thirty days, at a special meeting convened under the direction of the Director, Health Services, Himachal Pradesh, wherein the Director of Health Services or his representative shall observe the election proceedings and the name of the elected members shall be intimated to the Returning officer;

(b) the Returning Officer shall intimate to the Himachal Medical Officers' Association regarding the election of one member from amongst its members to be elected to the Council. The election of such member shall be conducted and completed by the said Association within thirty days, at a special meeting convened under the directions of the Director Health Services, Himachal Pradesh, wherein the Director of the Health Services or his representative shall observe the election proceedings and name of elected member shall be intimated to the Returning Officer. Only registered medical practitioner registered with the Council shall attend and vote in such a meeting.
Explanation.- For the purposes of the clause, the Director of Health Services shall decide as to which Association is recognized and his decision shall be final;

(c) The Returning Officer shall request the State Government for nominating of four members of the Council having qualifications as prescribed in the Indian Medical Council Act, 1956 (Central Act No. 102 of 1956). The State Government shall intimate the names of such four members to the Returning Officer within thirty days.

(d) The Returning Officer shall conduct the election of eight members to be elected under clause (c) of section 3 by the registered practitioners from amongst themselves in accordance with the provisions contained in Part-III of these rules.

## PART-III

PREPARATION OF ELECTORAL ROLL AND MODE OF ELECTION OF MEMBERS FROM REGISTERED MEDICAL PRACTITIONERS.

**5. Qualifications of Voters.-**(1) No person shall be qualified to vote or to be elected unless -

(i) he is a citizen of India;
(ii) his name is entered in the register mentioned under section 15, and ;
(iii) he either carries on his profession or is employed in the State of Himachal Pradesh;

(2) A voter's name shall not be removed from the electoral roll for the reason that the elector has, subsequent to the publication of the final register, ceased to hold the capacity in which he was registered as such:

Provided that a candidate for an election must continue to hold the requisite qualification/capacity by virtue of which he is seeking election.

**6. Preparation of electoral roll.-**(1) The electoral roll for the election shall comprise all registered practitioners registered with the Council as on the date of the notice of the election issued under sub-rule (1) of rule 9.

(2) The electoral roll shall be prepared by the Registrar from the register containing the names of registered medical practitioners under section 15 and it shall contain the name, father's name, address and registration number of every elector qualified to vote for the election of a member of the Council.

(3) The names of electors shall be arranged in the order in which they are registered for inviting claims or objections, by making a copy thereof available for inspection by displaying it in the office of the Council.

(4) The Returning Officer shall publish the notice stating that any objection relating to entries or omission from the said electoral roll may be preferred to the Returning Officer at his office during office hours on or before the date of hearing of objections to be specified in the notice.

**7. Forms for lodging claims and objections and manner of their disposal.-**(1) Every claim for inclusion of a name in the roll and every objection to an entry therein shall be lodged, within a period of thirty days from the date of publication of the roll under sub-rule (3) of rule-6 of these rules, in Forms-I and II respectively.

(2) Every claim in Form –I shall be signed by the person who requires his name to be included in the roll.

(3) Every objection in Form-II to the inclusion of a name in the roll shall be preferred by a person whose name is already included in the roll and shall be countersigned by another person whose name is also included in the roll.

(4) Every such claim or objection, as the case may be, shall be examined by the Registrar who shall record his remarks thereon, following which he may either allow or reject the claim or objection:

Provided that a claim or objection shall not be rejected unless the person making it is given an opportunity of making representation against such rejection.

(5) The decision of the Registrar allowing or rejecting a claim or objection shall be final.

**8. Final publication of the roll.-**(1) The Registrar shall after disposing of the claims and objections, if any, under rule 7, prepare a list of amendments to carry out his decisions under

the said rule and to carry out any clerical or printing error and other inaccuracies, in the roll subsequently discovered or brought to his notice.

(2) The Registrar shall publish the roll together with the list of amendments by making a complete copy thereof and make available for inspection by displaying it at the office of the Council and cause to be printed a sufficient number of copies of the electoral roll for supply on payment to such persons as may apply for the same.

(3) On such publication, the roll together with the list of amendments shall be the electoral roll of persons who may elect the members of the State Medical Council under clause (c) of sub-section (3) of section 3.

(4) A copy of the roll together with amendments published under sub-rule(2) shall be sent by the Registrar to the State Government.

**9. Notice of election.**-(1) Whenever an election, under clause (c) of sub-section (3) of section 3, to the Council is to be held or a vacancy is to be filled, the Registrar shall issue a notice as per Form-III giving the following details and calling upon the electors to elect a member or members by a date to be specified in the notice:-

(a) the date of election;
(b) number of vacancies to be filled;
(c) the date and time by which the candidates shall file their nominations;
(d) date and time of scrutiny of nomination papers;
(e) date and time by which a candidate can withdraw his nomination;
(f) date of counting of votes and declaration of results; and
(g) any other relevant information in regard to the election:

Provided that-

(i) the date for filling nominations shall be the seventh day after the date of publication of the said notification or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(ii) the last date for withdrawal of nomination shall be the second day after the scrutiny of nomination or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(iii) the date on which a poll shall, if necessary, be taken, shall be not earlier than the thirtieth day after the last date for withdrawal of nomination, and

(iv) the date, the time and the counting of votes and for declaration of results shall not be beyond the third day from the date of poll.

(2) The notice issued under sub-rule (1) shall also invite nomination papers of the candidates for election to the Council and specify the place at where the nomination papers are to be delivered.

(3) A copy of notice shall be affixed on the notice board in the office of the Registrar, as well as published in the two leading newspapers in English and Hindi.

**10. Presentation of nomination papers and requirements for valid nomination.**-(1) On or before the date appointed under subrule (1) of rule 9, each candidate shall send by a registered post with acknowledgement due or deliver in person to the Returning Officer, a nomination paper in Form-IV alongwith a bank draft of Rs. 1000/- as security for each nomination, payable to the Himachal Pradesh Medical Council, at Shimla.

(2) Every nomination paper shall be subscribed by two electors one as the proposer and the other as the seconder and assented by the candidate proposed and seconded by them:

Provided that no elector shall subscribe as a proposer or a seconder more nomination papers than there are seats to be filled up.

Provided further that, if an elector subscribes to more number of nomination papers than there are seats to be filled up, the nomination papers first received by the Returning Officer to the number of seats to be filled up shall, if they are otherwise in order, be held to be valid, and if all such nomination papers subscribed by the same elector in excess of the number of seats to be filled up are received simultaneously, all such nomination papers shall be held to be invalid.

(3) On receipt of each nomination paper the Returning Officer shall endorse thereon the date and the hour of its receipt.

**11. Forfeiture and refund of security deposit.-**(1) If a candidate by whom or on whose behalf the security deposit referred to in rule 10 has been made is not elected and the number of votes polled in his favour **are** less than 1/6th of the total valid votes polled as a whole or the candidate has posted exactly 1/6th valid votes polled, the security deposit shall be forfeited to the Council.

(2) The security deposit in the following cases shall, by an order in writing of the President on the recommendation of the Returning Officer, be refunded to the candidate or if not made by him to the person by whom it was made or where the candidate has died to his legal representatives –

(a) where the nomination paper of the candidate has been rejected; or
(b) where the candidate has withdrawn his nomination within specified time; or
(c) where the candidate has died before issue of the ballet paper to the electors.

(3) The Security deposit in the following cases shall be refunded after declaration of the results of the election –

(a) where the candidate though not elected does not forfeit his security deposit under sub- rule (1); or
(b) where the candidate is elected.

**12. Rejection of nomination paper.-** A nomination paper which is not received on or before the date appointed by the Returning Officer in that behalf shall be rejected.

**13. Scrutiny of nomination paper.-**(1) On the date and the time appointed by the Returning Officer for scrutiny of nomination papers, the candidates and the proposer and the seconder of each candidate or other representatives duly authorized by the candidates in this behalf, may attend the office of the Returning Officer who shall allow them to examine the nomination papers of all the candidates, which have been received by him.

2. A nomination paper shall be declared invalid,-

(a) if a proposer or a seconder has signed the nomination papers of more candidates than the number of vacancies;
(b) if the nomination paper is not signed by the candidate or by the proposer or by the seconder;

(c) if the nomination paper is not addressed to the Returning Officer by name and does not reach him under a registered cover or is not delivered to him personally by the date and time notified for the purpose;

(d) if a sum of Rs.1000/- required to be deposited as security under rule 10 by the candidate is not received by the Returning Officer within the stipulated date and time;

(e) if it does not bear the registration number of the proposer and seconder or if the registration number is inaccurate;

(f) if the candidate has ceased to hold the requisite qualifications or capacity by virtue of which he is seeking election; and

(g) if the candidate is disqualified under sub-section (1) of section 7 of being elected as member of the Council.

(3) The Returning Officer shall examine the nomination papers thus received and decide all questions which may arise as to the validity of any nomination and his decision thereon shall be final.

**14. Withdrawal of nomination.-**(1). Any candidate may withdraw his nomination by notice in writing signed by him and delivered to the Returning Officer before the date fixed under subrule (1) of rule-9.

(2) A candidate who has withdrawn his nomination shall not be allowed to cancel the withdrawal or to be re-nominated as a candidate for the same election.

**15. Publication of the List of contesting candidates.-**(1) Immediately after the expiry of the period within which candidature may be withdrawn under rule-14, the Returning Officer shall prepare and publish a List of contesting candidates in one of the leading news-papers in the State that is to say, candidates who were validly nominated and who have not withdrawn their candidature within the said period.

(2) The said List shall contain the names (in alphabetical order) and the addresses of the contesting candidates,

(3) The said List shall be published in the Official Gazette and given wide publicity in such manner as the Returning Officer may deem fit.

**16. Polling.-(1)** If the number of candidates filing nomination for election does not exceed the number of members to be elected, the Returning Officer shall forthwith declare such candidates to be duly elected.

(2) If the number of such candidates exceeds the number of members to be so elected, the Returning Officer shall, not later than thirty days before the date appointed for the poll, send by registered post to every other elector a letter of intimation in Form-V together with a numbered declaration paper in Form-VI, a voting papers in Form-VII containing the names of candidates in alphabetical order and bearing the Returning Officer's initials or facsimile signature, a voting paper cover addressed to the Returning Officer and an outer cover also addressed to the said Officer:

Provided that the voting paper and other connected papers may also be sent to any elector on his applying to the Returning Officer before the date appointed for the poll, if the Returning Officer is satisfied that the papers have not been sent to him.

(3) A certificate of posting shall be obtained in respect of each such letter of intimation sent to an elector.

(4) An elector who has not received the voting and other connected papers sent to him by post or who has lost them or in whose case the papers before their return to the Returning Officer have been inadvertently spoilt, may transmit a declaration in writing to that effect and request the Returning Officer not later than fifteen days before the date appointed for the poll to send him fresh papers, and if the papers have been spoilt, the spoilt papers shall be returned to the Returning Officer, who shall cancel them on receipt.

(5) In every case in which such fresh papers have been issued, a mark shall be placed against the number relating to the elector's name in the roll to denote that fresh papers have been issued to him.

(6) No election shall be invalid for the reasons of non-receipt of his voting paper and other connected papers by an elector.

(7) Each elector shall have the right to vote for as many candidates as there are seats to be filled by the election, and the vote shall be non-transferable.

(8) Every elector desirous of recording his vote shall, after filling up the declaration paper (Form-VI) and the voting paper (Form-VII) according to the direction given in the letter of intimation (Form-V) enclose the voting paper in the voting cover, stick up and enclose the said cover alongwith the declaration paper, in the outer envelope addressed to the Returning Officer and send that outer envelope by post at the elector's own cost or by hand to the Returning Officer, so as to reach him not later than the appointed time for closure of voting on the date fixed for the poll.

(9) On receipt by post, or by hand, of the envelope containing the declaration paper and the closed cover containing the voting paper the Returning Officer shall enclose on the outer envelope the date and the hour of its receipt.

(10) All envelopes received after the said day and hour shall be rejected.

**17. Opening of Cover.-**(1) The Returning Officer shall open all the outer envelopes immediately after the time is over fixed for the polling.

(2) Any candidate may be present in person or may send a representative duly authorized by him, in writing, to be present at the time when the outer envelopes are opened.

**18. Rejection of voting paper covers.-**(1) A voting paper shall be rejected by the Returning Officer, if.-

(a) the outer envelope contains no declaration paper outside the voting paper cover; or
(b) the declaration paper is not the one sent by the Returning Officer, or
(c) the declaration paper is not signed by the elector, or
(d) the voting paper is placed outside the voting paper cover, or
(e) more than one declaration paper, or voting paper cover have been enclosed in one and the same outer envelope.

(2) In each case of rejection, the word "rejection" shall be endorsed on the voting paper cover and the declaration paper. The reasons for the rejection shall also be recorded, in brief, on the voting paper cover.

(3) After satisfying himself that the electors have affixed signatures to the declaration paper, the Returning Officer shall keep all the declaration papers in safe custody pending disposal under rule 22.

**19. Scrutiny and counting of votes.-**(1) On the date appointed for the counting of votes, the voting paper covers other than those rejected under rule 18 shall be opened and the voting papers taken out and mixed together.

(2) The voting papers shall then be scrutinized and the valid votes counted.

(3) Any candidate may be present in person or may send a representative duly authorized by him, in writing, to watch the process of counting.

(4) A voting paper shall be invalid if,-

(a) it does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature; or
(b) a voter signs his name on the voting paper, or writes any word on it, or makes a mark on it by which it becomes recognizable as his voting paper, or
(c) no vote is recorded thereon, or
(d) it is void for uncertainty of the vote recorded; or
(e) the number of votes recorded thereon exceeds, the number of members to be elected, or
(f) the recording of the vote has been done at a place or in the manner other than that provided for the purpose.

(5) The Returning Officer shall show the voting papers to the candidates or their authorized representatives at the time of scrutiny and counting of votes, if so requested.

(6) If any candidate or his representative makes an objection to the acceptance of a voting paper on the ground that it does not comply with the specified requirements, or to the rejection of a voting paper by the Returning Officer, it shall be decided at once by the Returning Officer whose decision thereon shall be final.

(7) The Returning Officer shall nominate such number of persons, for counting of votes as he deems fit, in accordance with such directions as may be issued in this behalf by the State Government.

**20. Provision for recounts.-**Any candidate or his agent may, at any time during the counting of the votes, make a request in writing to the Returning Officer to recount the votes of all candidates or of any candidate, and the Returning Officer shall forthwith recount the same accordingly.The Returning Officer may also, at his discretion, recount votes either once or more often in any case in which he is not satisfied as to the accuracy of any previous count, provided that nothing shall make it obligatory on the Returning Officer to recount votes more than once.

**21. Declaration of results.-**(1) When the counting of votes has been completed, the Returning Officer shall draw up a List of candidates in the order of higher votes polled in favour of each candidate and shall declare the results of the successful candidates in that order according to the number of seats to be filled up.

(2) If any candidate thus declared elected refuses to accept the election, then in the place of that candidate one of the remaining candidates to whom the next largest number of votes have been cast shall be deemed to have been elected, and the same procedure shall be adopted as often as a vacancy is caused in this way.

(3) When there is equality of votes among any two or more candidates, then the person or persons, as the case may be, who shall be deemed to have been elected shall be determined by

lots to be drawn by the Returning Officer or any other officer authorized by him in such manner as he may determine.

(4) The Returning Officer shall, as soon as the result is declared, inform each successful candidate of his being elected to the State Medical Council.

**22. Voting papers to be retained.-**Upon the completion of the counting and after the result has been declared, the Returning Officer shall seal the voting papers and all other documents relating to the election, and shall retain the same for a period of six months, and shall not destroy or cause to be destroyed these records even after the expiry of the said six months without the previous concurrence of the State Government.

**23. Intimation of results of election.-** (1) The Returning Officers shall intimate the names of the elected candidates to the State Government for enabling it to fulfill its statutory obligation of publishing their names in the Official Gazette under sub-section (9) of section-3.

(2) In case of any dispute regarding the election, which may be lodged with the Returning Officer within fifteen days of declaration of the results of that elector, it shall be referred to the State Government through an Officer, who shall be of rank of not below the Secretary to the Government, for its decision, under sub-section (7) of section 3, which shall be final.

## PART-IV
## ELECTION OF PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT OF STATE MEDICAL COUNCIL

**24. Register of members of the State Medical Council.-**The Office of the State Medical Council shall maintain a Book giving the names and other details of the members elected or nominated to it from time to time, as required under rule 5 of the Himachal Pradesh Medical Council (General) Rules, 2011.

**25. Procedure for election of President of the State Medical Council.-**(1) As soon as possible and not later than fifteen days after the constitution of the new Council, the election of the President of the Council by the Members of that Council from amongst themselves shall be held at the first meeting of the said Council after its constitution or reconstitution, as the case may be.

(2) The Registrar shall invite the members present at the meeting to make the nominations for the office of the said President. Each nomination shall be supported by another member present at that meeting as the seconder:

Provided that no member shall nominate or second more than one member for the Presidentship.

(3) If there is only one member so nominated, he shall be declared duly elected as the President of the Council.

(4) If, however, there be more than one member duly nominated and seconded for the Presidentship, the Registrar shall proceed to take ballots in the following manner, namely:-

(a) A slip of paper shall be given to every member present who shall write on it the name of one of the contestants in whose favour the member wishes to cast his vote. He shall then fold the slip and hand it over to the Registrar.

(b) On receipt of all the slips the Registrar shall count the number of votes secured by each contestant and shall declare that member who secures the largest number of votes to be duly elected as President .

(c) If there is an equality in the votes secured by two or more contestants and the Registrar may then decide the issue by taking lots in such manner as he deems fit and the Member so determined by the draw of lots shall be declared as duly elected as the President of the Council.

**26. Procedure for election of Vice-President of State Medical Council.-**(1) The President of the Council having been elected under rule 25 shall take chair and the members of the State Medical Council will propose to elect a Vice President of the Council from amongst themselves.

(2) The procedure laid down in rule 25 shall be followed except that in case of equality votes, the President shall have a casting vote.

---

FORM-I
(See rule 7)
CLAIM FOR INCLUSION OF A NAME IN THE ELECTORAL ROLL

To

The Registrar,
Himachal Pradesh State Medical Council,
Shimla.

Sir,

I do hereby file under rule 7 of the Himachal Pradesh Medical Council (Election) Rules,2011 framed under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003, (Act No. 16 of 2003) my claim for inclusion of my name in the electoral roll for the ensuing election to the Himachal Pradesh Medical Council under clause (c) of sub-section (3) of section 3 of the said Act.

The relevant details are given below:-

Name (in block letters) …….
Address
…….
…….
…….
Academic qualification :
…….
Designation and official address, if any.
……
…….
Grounds for the claim (with proof if any)
……

I declare that I am citizen of India, residing in _____ State and practicing in Medical/employed in …….. State.

Place: _____ (Signature of claimant)
Date: _____

FORM-II
(See rule 7)

OBJECTION TO AN ENTRY IN THE DRAFT ELECTROL ROLL

To

The Registrar,
Himachal Pradesh State Medical Council,
Shimla.

Sir,

I do hereby file under rule 7 of the Himachal Pradesh Medical Council (Election) Rules, 2011 framed under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No.16 of 2003) my objection to the following entry in the electoral roll prepared by you in connection with the ensuing election to the Himachal Pradesh Medical Council under clause (c) of subsection (3) of section 3 of the said Act:-

1. Name of the persons (in block letters) the entry of whose name in the electoral roll is objected to
   ……..
2. Particulars of entry objected to
   ……
3. Grounds of objections to the entry
   …….
   …….
   ……..

Place: _____ (Signature of the objector)
Date: _____

Serial No. and name of objector
as entered in the Electoral Roll
…….

Address of the objector
……
……..
…….

(Counter signature)

Place: _____
Date: _____

Serial No. and name of person countersigning
as entered in the electoral roll
…….

Address of the person countersigning
……
……..
…….

FORM-III
( See rule 9)

Himachal Pradesh Medical Council
Notice of Election Programme

Notice is hereby given that -

(1) An election is to be held for election of _____members from amongst the registered medical practitioners entered in the register of the Council, on _____ (date).

(2) Nomination paper may be delivered by a candidate or his proposer in person or by post to the Returning Officer on or before _____.

(3) Form of nomination paper may be obtained from the Returning Officer from his office on any working day on payment of Rs. _____ only.

(4) The nomination will be taken up for scrutiny on _____ (date).

(5) Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer, duly authorized in writing by the candidate for the purpose, to the Returning Officer up to _____(hours) _____ on _____(date).

(6) Counting of votes shall be done on _____ at _____in the office of the Returning Officer _____ and marked ballot paper received upto the aforesaid date and time only shall be counted;

(7) The result shall be declared immediately after the counting of votes.

Place: _____
_____
Date:

(Name)
Returning
Officer.

_____

FORM –IV
(See rule 10)

NOMINATON PAPER

Election to the Himachal Pradesh Medical Council under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003).

1. Name of the candidate
……..
2. Father’s name
…….
3. Age and date of birth
…….
4. Nature of qualification
……..
5. Registered number (in the State Medical Register)
…….
6. Page No. in the State Medical

Register or its supplement (mentioning the year) in which the name appears.
……

7. Serial No. in the roll.
……

8. Addresss: House No.
…….
Block/Street No.
…….
Village/Town
…….
Post Office
…….
Pin Code
……

9. Name of proposer
……

10. Signature of proposer
……..

11. Registration No.of proposer in the State Medical Register and the Page No. in the said Register or its supplement (mentioning the year) in which the name appears.
…….

12. Serial No. in the roll
…….

13. Name of seconder
…….

14. Signature of seconder
……

15. Registration No. of seconder in Medical Register and the page No. in the said Register or its Supplement (mentioning the year) in which the name appears.
…….

16. Serial No. in the roll
…….

Declaration by the candidate :

I hereby declare that I agree to this nomination.

(Signature of candidate)

This nomination paper was received by me at (place) …… on (date) ……at (time) ……

(Signature of the Returning Officer).

Decision of the Returning Officer accepting or rejecting nomination papers.

I have examined this nomination paper in accordance with law and decide as follows:-

Place: _____
Dated: Returning Officer

INSTRUCTIONS

Nomination papers which are not received by the Returning Officer before (Hour) ……..on the ……. will be invalid.

_____

FORM–V
(See sub-rules(2) & (8) of rule 16)

LETTER OF INTIMATION

Sir/Madam

The persons whose names are printed in the enclosed voting paper have been duly nominated as candidates for election to the Himachal Pradesh State Medical Council under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003) . Should you desire to vote at the election, I request that you will:-

(a) fill up and sign the declaration paper (Form-VI);
(b) mark your vote in the column provided for the purpose in the voting paper (Form-VII) as per instructions printed on the voting paper;
(c) enclose the voting paper in the small cover and stick it up; and
(d) enclose the small cover and the declaration paper in the outer envelope which is larger and on which my address is already printed and return the same to me by post at your cost or deliver it in person in my office so as to reach me not later than ……. On the …….. of 20……..

2. The voting paper will be rejected if -

(a) the outer envelope enclosing the voting paper cover and the declaration paper is not sent by post or not delivered in person in my office or received later than the hour fixed for the closing of the poll;
(b) the outer envelope contains no declaration paper outside the smaller cover; or
(c) the voting paper is placed outside the voting paper cover; or
(d) the declaration paper is not the one sent by the Returning Officer to the voter; or
(e) more than one declaration paper or voting paper cover have been enclosed in one and the same outer envelope; or
(f) the declarations not signed by the elector; or
(g) the voting paper is invalid.

3. A voting paper will be invalid if -

(i) it does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature; or
(ii) a voter signs his name on the voting paper, or writes any word on it or makes any mark by which it becomes recognizable as his voting paper; or
(iii) no vote is recorded thereon; or
(iv) the number of votes recorded thereon exceeds the number to be elected; or
(v) it is void for uncertainty of the vote exercised.

4. If a voter inadvertently spoils a voting paper, he can return it not later than fifteen days before the date appointed for the poll, to the Returning Officer who will, if satisfied of such inadvertence, issue to him another voting paper.

5. The scrutiny and counting of votes will begin on …….. (date) at ……(hour).

6. No person shall be present at the scrutiny and counting except the Returning Officer or such other person as he may appoint to assist him, the candidates or their duly authorized representatives.

Returning Officer.

---

FORM-VI
(See sub-rules (2) and (8) of rule 16)

DECLARATION PAPER

Election to the Himachal Pradesh Medical Council under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003).

Elector's name
---

Registration number on the State Medical Register and page number in that Register or its supplement (mentioning the year) in which the Name appears.
……

ELECTOR'S DECLARATION

I …… (name in full and designation, if any) declare that I am an elector for the election of members to the Himachal Pradesh Medical Council under clause (c) of subsection (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 ( 16 of 2003) and that I have submitted no other voting paper at this election.

Station …… Signature of elector
Date …….

---

FORM-VII
[See sub-rules (2) and (8) of rule 16]

VOTING PAPER

Serial No. of Voting paper …… ,* …….Member(s) is/are to be elected to the Himachal Pradesh State Medical Council under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (16 of 2003).

| Sr. No. | Names and addresses of candidate duly nominated | Vote |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Initials/facsimile signature of the Returning Officer ……..……

INSTRUCTIONS

1. Each elector has the right to vote for as many candidates as the number of members to be elected.
2. He shall vote by placing the mark 'X' opposite the name(s) of the candidate(s) whom he prefers.
3. The voting paper shall be invalid if-

   (a) it does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature; or
   (b) the voter signs his name or writes word or makes any mark on it, by which it becomes recognizable as his voting paper; or
   (c) no vote is recorded thereon; or
   (d) the mark 'X' is so placed as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply, or iaf it is placed against the names of more number of candidates than required to be elected.

*Number to be indicated.

By order,
Sd/-
*Secretary (Health).*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित